

—:आदेश:—

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के शासनादेश संख्या-F.No-11-306/2014-FC दिनांक-28-08-2015 वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-941/X-4-18/1-05(04)/2014 दिनांक 26.09.2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा-11.2 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में प्रस्ताव-(जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड मोरी में नैटवाड़-जल विद्युत परियोजना-60 मेगावाट के स्विचयार्ड, बैनोल से सनैल के नजदीक पुलिंग स्टेशन तक 220 केवी0 डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 107.52 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु एस0जे0वी0एन0 लि0 को लीज हेतु प्रत्यावर्तन) के निर्माण कार्य हेतु वृक्षों के पातन एवं कार्य आरम्भ करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है-

1. यह अनुमति जारी होने के एक वर्ष तक अर्थात् दिनांक 14-03-2023 तक ही वैध है।
2. वृक्षों के छपान से पूर्व वन विभाग के पर्यवेक्षण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ट्रान्समिशन लाईन समरेखण के दोनों ओर स्पष्ट चिन्हांकन किया जाना होगा।
3. प्रयोक्ता निर्माण वन भूमि में निम्नवत वृक्षों का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 4782 Trees Including 400 Saplings है एवं वृक्षों का पातन वन विभाग के वृक्षों के छपान से पूर्व वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा।
4. वन भूमि पर कोई भी शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम अथवा वैकेल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकेल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
6. उक्त प्रयोजना निर्माण के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई भी अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
7. उक्त प्रयोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
8. भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक सं0-8बी/यू0सी0पी0/04/11/2022/एफ0सी0/1690 दिनांक 07.03.2022 में अधिरोपित शर्तों/उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा, जिसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1927 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाना होगा।

(सुबोध कुमार काला)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

कार्यालय उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

पत्रांक-2654/12-1 पुरोला, दिनांक, 14/03/2022।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक आई0टी0जी0सी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. वन संरक्षक यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, एस0जे0वी0एन0लि0, नैटवाड़-मोरी, जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वन क्षेत्राधिकारी सान्द्र रेंज, देवता रेंज, काटीगाड़ रेंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त शर्तों का कडाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें एवं उक्त आदेश में उल्लेखित अनुमति की वैध तिथि तक उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति की प्राप्ति ना होने की दशा में कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द करवाना सुनिश्चित करें एवं आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

(सुबोध कुमार काला)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला